न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

प्रकरण संख्या- TA 18 सन-2022

पंजीयन दिनांक - 13/05/202

- उनवान -

1. बद्रीलाल पिता नानालाल जाति धोबी ------ मृतक के बजाय

1/1 लक्ष्मी नारायण पिता बद्रीलाल जाति धोबी निवासी रठांजना तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 अमरचंद पिता बद्रीलाल जाति धोबी निवासी रठांजना तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

1/3 संपत बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धोबी निवासी रठांजना तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम कंगेटी तहसील पिपलिया मंडी जिला नीमच।

---- अपीलान्ट

बनाम

1 उदय लाल पिता भगवान जाति धोबी निवासी रठांजना तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

2 बालचंद पिता भगवान जाति धोबी निवासी रठांजना तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निंबाहेड़ा तहसील निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

--- रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा बमुकदमा नंबर 93/2019 प्रार्थना पत्र में अंतरिम निर्णय एवं आदेश दिनांक - 18-06-2019

उपस्थिति वक्त बहस--- छोगालाल जाट- अधिवक्ता-अपीलांटगण

एस.के.ओझा अधिवक्ता-रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं 2

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या -3

निर्णय

दिनांक- 26/05 / 2023

1. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है की अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंटगण 1 व 2 प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं अपीलांटगण 1/1,1/2 व 1/3 विपक्षीगण के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा रठांजना की वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रस्तुत कर एक तरफा सुनवाई की जाकर बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अपीलांटगण विपक्षीगण को सुनें दिनाँक18.06.2019 को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया। दिनांक 03.08.2021 को जवाब प्रस्तुत किए जाने के बावजूद स्थगन आदेश का निस्तारण नहीं किया जा कर प्रकरण में पेशियां तब्दील की जा रही है। इससे व्यथित होकर अपिलान्टगण विपक्षीगण द्वारा एक अपील मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गयी।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गयी।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान अपील प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए बताया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए न्यायालय द्वारा आदेश में लिखा गया कि विपक्षीगण को कोई एतराज हो तो जवाब पेश करें। इसकी पालना में विपक्षीगण द्वारा दिनांक 03.08.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया परंतु न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पर कोई निर्णय नहीं किया गया और तब से तारीख पेशीयां तब्दील की गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा सुनवाई कर पारित अस्थाई स्थगन आदेश निरस्त योग्य है। धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर्याप्त ठोस कारण होने से स्वीकार योग्य है। प्रत्युतर में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा दोराने बहस बताया गया कि अंतरिम आदेश की अपील मेंटेनेबल नहीं है अपील मियाद बाहर है। धारा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में देरी का सम्यक युक्तियुक्त कारण नहीं है अतः अपील मियाद के बिंदु पर ही खारिज की जाए।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का गहन अवलोकन किया। अपील प्रार्थना पत्र में संलग्न समस्त दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

6. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का अवलोकन किया और पाया गया कि विलंब के ठोस आधार है। अतः विलंब को कंडोन किया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18/06/2019 को प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी औरअपिलान्टगणविपक्षीगण को भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि विपक्षी गण को कोई एतराज हो तो वह अपना पक्ष जवाब 15-7-2019 को पेश करें। इसके बाद दिनाँक 03/02/2020 को छोड़कर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण तारीख पेशियां तब्दील की गई। दिनाँक 03.08.2021 को अपिलान्टगण विपक्षीगण द्वारा जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रस्तुत किया गया और बहस हेतु पत्रावली नियत की गई। आगामी नियत तारीख पेशीयों में भी पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त रहें अतः बहस नहीं हो सकी। अपील एवं बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य तर्क यही है कि पत्रावली में जवाब देने के बावजूद पत्रावली का निस्तारण नहीं किया गया और उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लगातार जारी रहने से उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त किया जाए यहां यह ध्यान देने योग्य है की पारित आदेश अंतरिम है साथ ही विचारण न्यायालय में लंबित हैं अतः विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निर्णय लिया जाना है। अतः विचारण न्यायालय को प्रकरण का अंतिम निस्तारण शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

8. उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पत्रावली संख्या 93/2019 दिनॉक 18/06/2019 में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली प्राप्त होने से एक माह की अवधि में दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर पत्रावली में विधिसम्मत अंतिम निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26/05/2023 को सुनाया गया

पत्रावली फैसल शुमार हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

26/05/2023

(गितेश श्री मालवीय-आर.ए.एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज०)